

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) – II

MADHYA PRADESH, GWALIOR

(Lekha Bhavan, Jhansi Road, Gwalior, Pin: 474002)

No./Pension/DRSSA/Bihar-03/2024-25/

Date:-

To,

✓ All District/ Sub Treasury Officers
Madhya Pradesh

**Sub: - Grant of Dearness Relief/Medical Allowance/Revision of Pension/
amendment of pension rules of state government pensioner.**

- Ref: -**
1. SSA No. PEN-9-1640/Bihar dated 13.01.2025 O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Patna Pin: 800001
 2. बिहार सरकार, वित्त विभाग ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-12283/वि. पटना, दिनांक 15.11.2024.
 3. बिहार सरकार, वित्त विभाग ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-13831/वि. पटना, दिनांक 24.12.2024
 4. बिहार सरकार, वित्त विभाग ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-13832/वि. पटना, दिनांक 24.12.2024
 5. बिहार सरकार, स्वास्थ्य विभाग, ज्ञापांक-14/विविध-50/2017-1891 (14)/स्वा0. पटना दिनांक 09.08.2024.

I am to enclose herewith the copy of SSA received from O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Patna which encloses Govt. of Bihar resolutions mentioned at Sl no. 2 to 5 under reference regarding Grant of Dearness Relief/Medical Allowance/Revision of Pension/ amendment of pension rules of state government pensioner. The same is being placed on the official website of the office (www.agmp.nic.in) under the link "Pensioners Corner". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

It will be the responsibility of the pension disbursing authority to download the orders mentioned above from the website and take necessary action accordingly.


Sr. Accounts Officer (IC)/Pension

No. / Pension/ DRSSA/ Bihar-03/2024-25/ 4230

Date:- 19-2-25

Endt. Copy for information-

Senior Accounts Officer/pension, O/o the Accountant General (A&E), Bihar, Patna-
PIN: 800001 w.r.t. SSA No. Pen-9-1640/Bihar dated 13.01.2025 for information.

Sd-
Sr. Accounts Officer (IC)/Pension

आकार (ले०&ह०) का कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

SP-580 579 390
OFFICE OF THE ACCOUNTANT
GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

21362

पत्रांक / Letter No -PEN-09-1640

दिनांक / Date -13/01/2025

Dr. Kumar

98484

To,

The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa b	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E),, Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh , Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground , Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr, Accountant General (A&E), Maharashtra , 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001

Sh. Madhav
23/01/25

DA-149
23.1.25

18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dintnar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector-17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005
23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Aliahabad	211001
27	Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Lucknow, Audit Bhawan, 4 th Floor, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh	226010
28	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
29	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.-2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
30	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
31	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
32	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
33	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No-(1) झापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-12282/वि०, पटना, दिनांक-15.11.2024
 (2) झापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-13831/वि०, पटना, दिनांक-24.12.2024
 (3) झापांक-3ए-3-भत्ता-01/2022-13832/वि०, पटना, दिनांक-24.12.2024
 (4) झापांक-14/विविध-50/2017-1891(14)/स्वा०, पटना दिनांक-09.08.2024

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-.....

विषय:- सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2024 के प्रभाव से 50% के स्थान पर 53% महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं०-2892/वि० दिनांक-15/03/2024 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01/01/2024 के प्रभाव से 50% की दर से महँगाई राहत की स्वीकृति दी गई थी।

2. भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/02/2024-P&PW(D), दिनांक-30/10/2024 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दर 50% से बढ़ाकर 53% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि-

- (i) सप्तम केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2024 के प्रभाव से 50% के स्थान पर 53% महँगाई राहत की स्वीकृति दी जाती है।
- (ii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा।
- (iii) महँगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (iv) उपर्युक्त महँगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा।

5. पेंशन पर महँगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृत्ति एवं असमर्थता

पेंशन प्राप्त है। औपबधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को राहत देय होगी।

6. वर्द्धित महँगाई राहत के बकाये राशि का भुगतान माह नवम्बर, 2024 के पेंशन संवितरण के पश्चात् किया जाएगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महँगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही महँगाई राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालों के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महँगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन महँगाई राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को वर्द्धित दर से महँगाई राहत, माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से भुंगतेय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।

पटना, दिनांक:- 15.11.2024

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-01/2022-12283/वि०

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव, वित्त विभाग।



5
pen-1
R

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक- ०५-१२-२०२४

विषय: पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 443% के स्थान पर 455% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-7722, दिनांक-18.07.2024 के द्वारा पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से 443% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/6(2)/2024-E.II(B), दिनांक-07.11.2024 के द्वारा पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 443% से बढ़ाकर 455% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. 4.1. अतः साम्यक विद्यारोपरात्त पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 443% के स्थान पर 455% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2 उक्त के फलस्वरूप दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से लागू पंचम केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाले कर्मियों/पेंशनभोगियों तथा जिनको 01.01.2005 के प्रभाव से मूल वेतन के 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य महंगाई भत्ता की राशि को महंगाई वेतन के रूप में लाभ दिया जा चुका है, को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की दर 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया जाएगा।

4.3. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

4.4. महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा।

4.5. उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबन्धिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा० समापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-13831/वि०

पटना, दिनांक:-24-12-2024

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-03/2022-13831/वि०

पटना, दिनांक:-24-12-2024

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

संख्या-3ए-3-भत्ता-02/2022-.....13832...../वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक: 24-12-2024

विषय:- षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 239% के स्थान पर 246% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प सं०-7721/वि०, दिनांक-18.07.2024 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.01.2024 के प्रभाव से 239% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/6(1)/2024-E.II(B), दिनांक-07.11.2024 द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 239% से बढ़ाकर 246% स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी स्थिति से करती रही है।

4. 4.1. अतः सम्यक् विचारोपरान्त षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2024 के प्रभाव से 239% के स्थान पर 246% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।

4.2. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महँगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

4.3. पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

4.4. महुँगई भत्ता / राहत की गणना म 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपय म पूर्णकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जाएगा।

4.5. उपयुक्त महुँगई भत्ता / राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार / वित्त देयकित दाय निर्यारण कोषाग को प्रविशार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपवधिक रूप से कर दिया जाएगा।

4.6. पटना उच्च न्यायालय / बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् के कमिया / पेशनभोगिया / परिवारिक पेशनभोगियों को षटम् केन्द्रीय वेतनमान म उक्त महुँगई भत्ता / राहत का भुगतान मा० मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय / मा० अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / मा० सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक म सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापक:- 35-3-भत्ता-02/2022-13832/वि०

पटना, दिनांक- 24-12-2024

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरबन्ध पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापक:- 35-3-भत्ता-02/2022-13832/वि०

पटना, दिनांक- 24-12-2024

प्रतिलिपि:- महानहिम राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव / सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागध्यक्ष / सभी प्रमडतीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक / सभी कोषागार, पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-13832/वि०

पटना, दिनांक-24-12-2024

प्रतिलिपि:-सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गौधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एकजीविशन रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक, मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, चाणक्या प्लेस, आर० ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड, पटना-01/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, आर० ब्लॉक, चाणक्य टावर, पटना/ इंडियन बैंक, फील्ड जेनरल मैनेजर ऑफिस, प्रथम तल, इंडियन बैंक एफ०जी०एम०ओ० बिल्डिंग, कोतवाली थाना के नजदीक, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-13832/वि०

पटना, दिनांक-24-12-2024

प्रतिलिपि:-महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद् को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मेंहगाई भत्ता/राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार, विधान परिषद् की सहमति प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाय एवं वित्त विभाग, बिहार सरकार को भी इससे अवगत कराया जाय।

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-13832/वि०

पटना, दिनांक-24-12-2024

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-3ए-3-भत्ता-02/2022-13832/वि०

पटना, दिनांक-24-12-2024

प्रतिलिपि:-प्रभारी ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंशकारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

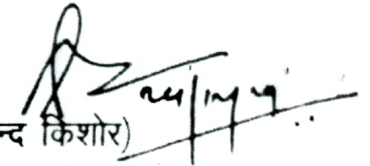
(आनन्द किशोर)

प्रधान सचिव।

ज्ञापक-3ए-3-भत्ता-02/2022-13832/वि०

पटना, दिनांक-24-12-2024

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-19.12.2024 के मद संख्या-21 में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

सं०-14 / विविध-50 / 2017

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय:-द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा एवं W.P.(C) No. 643/2015 (All India Judges Association Vs. Union of India and Ors.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को प्रदत्त चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-1150(14), दिनांक-10.10.2014 द्वारा बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत् और सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को चिकित्सा की स्वीकृति एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है। वर्तमान में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा एवं W.P.(C) No. 643/2015 (All India Judges Association Vs. Union of India and Ors.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-04.01.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों [परिवार से तात्पर्य है, न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पति/पत्नी एवं उनके ऊपर पूर्णतः आश्रित माता-पिता, अविवाहित बच्चे एवं सौतेले बच्चे] को प्रदत्त चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति संबंधी प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए पूर्व के प्रावधानों में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

2). स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-611(14), दिनांक-01.06.2009 के आलोक में "राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं उनके पति/पत्नी को राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को प्राप्त चिकित्सा सुविधा के समकक्ष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।"

3). चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति :-

बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी एवं सी०जी०एच०एस० मान्यता प्राप्त अस्पतालों एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पतालों/गैर सी०जी०एच०एस० मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-946(14), दिनांक-14.08.2015 की कंडिका-3(क) एवं (ख) में किये गये प्रावधान प्रभावी होगा जो निम्नवत् होगी :-

- (क) बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी/सी०जी०एच०एस० मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- (ख) राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी०जी०एच०एस० मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सी०जी०एच०एस० दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी।

4). चिकित्सकीय अनुशंसा :-

राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विभागाध्यक्ष (संबंधित रोग के)/संबंधित जिले के सिविल सर्जन (जहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल नहीं है) की अनुशंसा पर राज्य से बाहर बहिर्वासी/अंतर्वासी चिकित्सा कराने की अनुमति कंडिका-8 में उल्लेखित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु नामित सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जा सकेगी। इसके पश्चात् प्रत्येक फॉलोअप चेकअप के लिए संबंधित चिकित्सा संस्थान के अनुशंसा पर अनुमति कंडिका-8 में उल्लेखित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु नामित सक्षम प्राधिकार द्वारा दी जाएगी।

5). चिकित्सा के निमित्त यात्रा भत्ता :-

वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-5292, दिनांक- 23.06.2014, संकल्प संख्या-8044/वि०, दिनांक- 11/10/2017 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य प्रावधानों के आलोक में चिकित्सा के निमित्त यात्रा भत्ता अनुमान्य की जा सकेगी।

6). एयर एम्बुलेंस की सुविधा :-

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-611(14), दिनांक-01.06.2009 में प्रावधानित है कि "राज्य के न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों एवं उनके पति/पत्नी को राज्य के विधान मंडल के सदस्यों को प्राप्त चिकित्सा सुविधा के समकक्ष चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी।"

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या- 478(14), दिनांक- 01.03.2019 द्वारा बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों को जीवन रक्षा की दृष्टिकोण से आपात स्थिति में एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या- 478(14), दिनांक-01.03.2019 में किये गये प्रावधान बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों पर भी प्रभावी होगा परन्तु एयर एम्बुलेंस पर हुए व्यय राशि की प्रतिपूर्ति कंडिका-8 में उल्लेखित सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

7). घटनोत्तर स्वीकृति :-

राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति कंडिका-8 में उल्लेखित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु नामित सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।

8). चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि, विपत्रों की अनुमान्यता एवं स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार :-

(क) बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नवत् की जायेगी :-

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि	विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच [कंडिका-3(क) एवं (ख) के अनुसार] हेतु सक्षम प्राधिकार	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार
(i) रु0 1,00,000 (एक लाख रुपये) तक-	संबंधित सिविल सर्जन । (चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति से संबंधित विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच एक माह के अन्दर की जायेगी)	1). क). संबंधित जिले के न्यायमंडल में पदस्थापित बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश । ख). बिहार न्यायिक अकादमी में पदस्थापित न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए अकादमी के निदेशक । ग). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में पदस्थापित न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार होंगे।

घ). बिहार सरकार के

विभिन्न विभागों में पदस्थापित न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए विधि सचिव होंगे ।

च). पटना उच्च न्यायालय, पटना में पदस्थापित बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकार ।

2). क), चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को घोषणा पत्र देना होगा कि वे किस सक्षम प्राधिकार के समक्ष दावा विपत्र समर्पित करेंगे ।

ख). चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम विपत्र की स्वीकृति के बाद न्यायमंडल में बदलाव (सिर्फ बिहार के अंदर अपने निवास स्थान अथवा सेवानिवृत्ति स्थल) हेतु महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना होगा ।

(चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि की स्वीकृति 45 दिनों के अंदर की जायेगी ।)

(ii) रु0 1,00,001 (एक लाख एक रुपये) से रु0 10,00,000 लाख (दस लाख रुपये) तक -

संबंधित मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों के अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय समिति।

(चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति से संबंधित विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच एक माह के अन्दर की जायेगी)

विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच/ प्रतिहस्ताक्षरित करने का दायित्व सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमंडलवार निम्नवत् होगा :-

(i) अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना - पटना प्रमंडल का सिर्फ पटना जिला।

(ii) अधीक्षक, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना - पटना प्रमंडल के भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिला।

(iii) अधीक्षक, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा - पटना प्रमंडल अंतर्गत नालन्दा जिला एवं मगध प्रमंडल अन्तर्गत नवादा जिला।

(iv) अधीक्षक, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया - मगध प्रमंडल अन्तर्गत गया, जहानाबाद, अरवल एवं औरंगाबाद जिला।

(v) अधीक्षक, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा

1). क). संबंधित जिले के न्यायमंडल में पदस्थापित बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

ख). बिहार न्यायिक अकादमी में पदस्थापित न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए अकादमी के निदेशक।

ग). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में पदस्थापित न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार होंगे।

घ). बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए विधि सचिव होंगे।

च). पटना उच्च न्यायालय, पटना में पदस्थापित बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक

	<p>महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर- भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल के सभी जिले।</p> <p>(vi) अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा - दरभंगा प्रमंडल के सभी जिले।</p> <p>(vii) अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर- तिरहुत प्रमंडल के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला तथा सारण प्रमंडल।</p> <p>(viii) अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पूर्णियाँ- पूर्णियाँ प्रमंडल के सभी जिले।</p> <p>(ix) अधीक्षक, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा- कोशी प्रमंडल के सभी जिले।</p> <p>(x) अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) - तिरहुत प्रमंडल के पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिला।</p>	<p>पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए महानिबंधक; पटना उच्च न्यायालय, पटना/उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकार।</p> <p>2.क) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/ पारिवारिक पेंशनरों को घोषणा पत्र देना होगा कि वे किस सक्षम प्राधिकार के समक्ष दावा विपत्र समर्पित करेंगे।</p> <p>ख). चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम विपत्र की स्वीकृति के बाद न्यायमंडल में बदलाव (सिर्फ बिहार के अंदर अपने निवास स्थान अथवा सेवानिवृत्ति स्थल) हेतु महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय से अनुमति प्राप्त करना होगा।</p> <p>(चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि की स्वीकृति 45 दिनों के अंदर की जायेगी।)</p>
<p>(iii) रु0 10,00,000 लाख (दस लाख रुपये) से ऊपर</p>	<p>संबंधित मेडिकल कॉलेज /अस्पतालों के अधीक्षक की अध्यक्षता में गठित त्रि-सदस्यीय समिति।</p> <p>(चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति से संबंधित विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच एक माह के अंदर की जायेगी)</p>	<p>मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकार।</p> <p>(चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि की स्वीकृति 45 दिनों के अंदर की जायेगी।)</p>

(ख). न्यायालयों के सेवारत/सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं उनके पारिवारिक पेंशनरों के 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना होंगे। 10 लाख से ऊपर की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति उपरोक्त कंडिका-8 'कै' (iii) के अनुरूप निर्धारित सक्षम प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

(ग). चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की राशि, विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता की जाँच हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रावधान बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर भी लागू होगा।

9). बहिर्वासी चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति :-

बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को बहिर्वासी चिकित्सा एवं उसमें इंगित किये गये जाँच पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा सभी रोगों में किया जा सकेगा।

10). दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया :-

दावों की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

(i) दावा प्रतिपूर्ति के साथ प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना आवश्यक है।

(ii) क्रय किये गये औषधियों से संबंधित मूल विपत्र (Bill) संबंधित संस्थान या सरकारी/सी0जी0एच0एस0 मान्यताप्राप्त संस्थान के चिकित्सक के द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित रहने चाहिए।

(iii) प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र अस्पताल/संस्थान के अधीक्षक/निदेशक या

Chairman/Vice

Chairman/Administrator/Registrar/Consultant Medical

Officer द्वारा मुहर के साथ प्रतिहस्ताक्षरित रहने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति नियमानुसार प्रदान की जायेगी।

(iv) क्रय की गई औषधियों से संबंधित कैशमेमो/दावा से संबंधित अस्पताल का चिकित्सा पूर्जा की छायाप्रतियाँ एवं अस्पताल में अन्तर्वासी रोगी का डिस्चार्ज समरी मूल रूप में प्रस्तुत की जायेगी।

11). चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति :-

- (i) बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को चिकित्सा अग्रिम की अधिसीमा एवं स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नरूपेण होंगे :-

(a)	अधिकतम रू0 8 लाख (आठ लाख रुपया) तक	<p>1). संबंधित जिले के न्यायमंडल में बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश।</p> <p>2). बिहार न्यायिक अकादमी में बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए अकादमी के निदेशक।</p> <p>3). बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार होंगे।</p> <p>4). बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए विधि सचिव होंगे।</p> <p>5). पटना उच्च न्यायालय, पटना में बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के लिए महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना या उनके द्वारा नामित सक्षम प्राधिकार।</p> <p>6) न्यायालयों के सेवारत्/सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी, सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं उनके पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना होंगे।</p>
(b)	रू0 8 लाख (आठ लाख रुपया) से ऊपर	मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकार।

(ii). संबंधित चिकित्सा संस्थान से प्राप्त प्राक्कलन (Estimate) के आधार पर प्राक्कलित राशि का 80 प्रतिशत चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया जाएगा। स्वीकृत चिकित्सा अग्रिम राशि का सी0जी0एच0एस0 दर पर निर्धारित समय सीमा (अधिकतम 6 माह) के भीतर समायोजन सुनिश्चित की जायेगी जिसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था कंडिका-8 में उल्लेखित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु नामित सक्षम प्राधिकार द्वारा की जायेगी।

(iii). अग्रिम राशि का सामंजन निकासी के अधिकतम छः माह के अन्दर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व के अग्रिम के सामंजन नहीं होने पर द्वितीय अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि में अग्रिम सामंजित नहीं होने पर संबंधित न्यायिक सेवा के पदाधिकारी को असामंजित अग्रिम की राशि को एक मुश्त जमा करना होगा। अग्रिम की निकासी के एक माह के भीतर चिकित्सा प्रारम्भ नहीं होने पर अथवा चिकित्सा हेतु प्रस्थान नहीं करने पर अग्रिम की सम्पूर्ण राशि एक मुश्त राजकोष में जमा कराने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं कंडिका-8 में उल्लेखित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु नामित सक्षम प्राधिकार का होगा।

12). पति-पत्नी दोनों के सेवारत रहने की स्थिति में :-

बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों, के पति/पत्नी के अन्य सेवा में सेवारत रहने एवं उक्त सेवा में चिकित्सा सुविधा अनुमान्य रहने की दशा में, दोनों कार्यरत पदाधिकारी किसी एक संस्थान/विभाग से चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावा कर सकेंगे। किंतु इस बात का घोषणा-पत्र उन्हें देना पड़ेगा कि उन्होंने दूसरी जगह से प्रतिपूर्ति हेतु दावा नहीं किया है।

13). राज्य के बाहर आवास/पदस्थापन होने की स्थिति में प्रक्रिया :-

न्यायिक सेवा के वैसे सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी/ न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी एवं पारिवारिक पेंशनर, जो बिहार राज्य से बाहर पदस्थापित/आवासित हैं या जिनके परिवार के सदस्य राज्य के बाहर निवास करते हैं, उन्हें तथा उनके परिवार के सदस्यों को राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विभागाध्यक्ष/सिविल सर्जन से रेफर कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे न्यायिक पदाधिकारी पदस्थापन/निवास स्थान के अस्पताल/सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा करा लेंगे तथा इसकी सूचना अपने चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु नामित सक्षम प्राधिकार को तत्काल किसी माध्यम से देंगे एवं चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा बिहार राज्य के सक्षम प्राधिकार के समक्ष करेंगे।

14). (क) बिहार राज्य के न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों हेतु हेल्थ कार्ड पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।

(ख) स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिहार राज्य के सभी सरकारी एवं उपयुक्त/योग्य गैर सरकारी अस्पतालों/जाँच घरों को सूचीबद्ध (Empanelled) किया जायेगा कि उक्त हेल्थ कार्ड (चिकित्सीय ईलाज हेतु परिचय पत्र) को प्रस्तुत करने पर सेवारत/सेवानिवृत्त

न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों का ईलाज किया जायेगा। उनके ईलाज एवं स्वास्थ्य जाँच के दौरान हुए व्यय का भुगतान नहीं लिया जायेगा। चिकित्सोपरान्त, चिकित्सा में खर्च हुए व्यय से संबंधित विपत्र को संबंधित अस्पताल, जाँच घर एवं चिकित्सक द्वारा संबंधित न्यायिक पदाधिकारी/सेवानिवृत्त पदाधिकारी/पारिवारिक पेंशनर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर एवं Undertaking के साथ कंडिका-8 में वर्णित सक्षम प्राधिकार के समक्ष भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जायेगा (Undertaking प्रारूप संलग्न)। उक्त विपत्र का भुगतान सक्षम प्राधिकार द्वारा संकल्प में वर्णित प्रावधान के अनुसार अधिकतम तीन माह के अंदर संबंधित अस्पताल, जाँच घर एवं चिकित्सक को किया जाएगा। अस्पतालों को सूचीबद्ध करने का मानक एवं प्रक्रिया का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जायेगा। इस प्रावधान के अनुपालन में कठिनाई आने पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प में वर्णित प्रावधानों के अनुसार शुद्धता एवं अनुमान्यता के जाँचोपरान्त यदि कोई अन्तर राशि देय होगी तो उसका भुगतान संबंधित न्यायिक पदाधिकारी/सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा संबंधित अस्पताल/जाँच घर/चिकित्सक को की जायेगी। अन्तर राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु नामित सक्षम प्राधिकार द्वारा समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

(ग) स्वास्थ्य विभाग द्वारा निदेश जारी किये जाने के उपरान्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अपने जिलों के अधीन सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पतालों/जाँच घरों से न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों की चिकित्सा सुविधा के संबंध में एकरारनामा करेंगे, जो बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर समान रूप से प्रभावी होगा।

15). बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत्/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी के पति/पत्नी, उनके परिवार के सदस्यों तथा पारिवारिक पेंशनरों को द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत संकल्प के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।

16). इस संबंध में पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

17). यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Additya Prakash
(आदित्य प्रकाश)

सरकार के अपर सचिव।

AR

ज्ञापांक -14 / विविध-50 / 2017 1891(4) / स्वा०, पटना, दिनांक- 09/8/2024

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई०गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मुख्य न्यायाधीश/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- निदेशक, बिहार न्यायिक अकादमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिहार/ सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी निदेशक, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 06.08.2024 की बैठक के मद संख्या-31 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Additya Kumar
सरकार के अपर सचिव।
09/8/2024

Undertaking

स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत संकल्प के प्रावधानों के अलोक में चिकित्सा करायी जा रही है तथा चिकित्सोपरान्त विपत्र पर अंकित राशि का भुगतान अनुमान्यता एवं शुद्धता के उपरान्त महानिबंधक/जिला एवं सत्र न्यायाधीश अन्य संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।

अनुमान्यता एवं शुद्धता के जाँचोपरान्त यदि कोई अंतर राशि देय होती हो तो उसका भुगतान मेरे द्वारा संबंधित अस्पताल/जाँच घर/चिकित्सक को की जायेगी।

सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक पदाधिकारी/पारिवारिक
पेंशनर का नाम :-

सक्षम प्राधिकार का नाम :-

पदस्थापन स्थान :-

पदनाम :-

मरीज से संबंध :-

पदस्थापन स्थान :-